वयस्कों (बालिगों) के लिए नाम परिवर्तन हेतु दिशा निर्देश

भारत के राजपत्र भाग-IV में व्यक्ति द्वारा नाम बदलने, उपनाम जोड़ने अथवा हटाने से संबन्धित विज्ञापन हेतु सूचना

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है।

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वयं सत्यापित शपथपत्र
(ii) समाचार पत्र की नवीनतम मूलप्रति
(iii) आवेदक तथा दो साक्षियों द्वारा सत्यापित विधिवत रूप से टंकण/टाइप निर्धारित प्रोफार्मा की दो प्रतियाँ
(iv) साक्षी/गवाह के हिस्से को छोड़कर एम एस वर्ड में टंकित/टाइप मुद्रित सामग्री युक्त सी. डी एवं हस्ताक्षर के स्थान पर अपना पुराना नाम टाइप करें।
(v) स्वयं सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकोपी (स्वयं सत्यापित)
(vi) आवेदक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।
(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

18 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के जो व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन का विज्ञापन भारत के राजपत्र भाग-IV में प्रकाशित कराना चाहता/चाहती है, तो उसे ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है:-

1- पिता/पति के नाम को उल्लेखित करते हुए आवासीय पता सहित अपने नाम के परिवर्तन हेतु किसी प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन होना चाहिए तथा इसकी मूल प्रति इस विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए।

2- आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित अपने पुराने तथा नये नाम के साथ पिता/पति के नाम एवं पूर्ण आवासीय पता को दर्शाते हुए एक शपथपत्र जिसमें यह घोषणा किया गया हो कि इसमें निहित तथ्य उसके/उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही है। यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी है, तो वह गृह मंत्रालय के दिनांक 12-3-1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 190016/1/87-स्था. के अनुसार नाम परिवर्तन का विलेख प्रस्तुत करें। नमूना प्रति संलग्न है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, तो वह संबन्धित भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायुक्त से विधिवत रूप से सत्यापित अपना विलेख की मूल प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करें।

3- संलग्न नमूने में निर्धारित मुद्रण सामग्री को एक अलग सादे कागज पर टाइप करके और व्यक्ति द्वारा अपने पुराने नाम पर दो गवाहों के साथ दो प्रतियों में हस्ताक्षर करके विधिवत रूप से पूर्ण सॉफ्ट कॉपी (सीडी एमएस वर्ड में) के साथ जमा किया जाना चाहिए। प्रोफॉर्मा कम्प्युटर से टंकित होना चाहिए।

4- आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ 2 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की स्वंसत्यापित फोटोप्रति प्रस्तुत करें।

5- नाम परिवर्तन के प्रकाशन का मुद्रण शुल्क दिनांक 01-04-2016 से रु. 1100/-है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय के लिए दिनांक 01-04-2016 से भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन का मूल्य रु.3500/- है। सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 30-09-2015 के भारत के राजपत्र सं. 602 असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(i) के तहत दिनांक 01-10-2015 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है। आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह अपना राजपत्र की प्रति इस विभाग के वैबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए

चरण 1 : राजपत्र खोजें (www.egazette.nic.in)

चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र

चरण 3 : भाग एवं खंड में – भाग-IV का चयन करें।

चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)

चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फ़ाईल डाउनलोड करें।

चरण 6 : अपना (पुराना/नया) नाम खोजने के लिए कंट्रोल + एफ कुंजी को दबाएँ।

चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazeette) डाउनलोड करें। इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

ध्यान दें:-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6. अग्रेषण पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज, मुद्रण शुल्क तथा फोटो पहचान पत्र प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 को व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

7. विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे।

8. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाहन 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।

9. (अ) यदि कोई व्यक्ति अपने मौजूदा धर्म के रहते किसी अन्य धर्म के नाम/उपनाम को अपनाने के लिए आवेदन करता/करती है तो आवेदक को स्वयं सत्यापित एक शपथपत्र जमा होगा जिसमें अपने आवासीय पते सहित सभी ब्यौरा एवं नया तथा पुराना नाम, पिता/पति के पूरा नाम आवासीय पते को दर्शाते हुए यह घोषणा किया जाना चाहिए कि वह यह पुष्टि करता/करती है कि “वह अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा/रही है” इस प्रकार के विज्ञापन की कीमत रु. 1100/-+250/- = रु. 1350/-होगी (अभी तक)।

9. (ब) यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन करता/करती है, तो उसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ शपथ पत्र में भी इसकी घोषणा करनी होगी।

10. आई डी प्रूफ के साथ सभी आवेदन स्वयं सत्यापित होनी चाहिए। आवेदन सिर्फ व्यक्तिगत/डाक/संदेशवाहक द्वारा जमा किया जाना चाहिए। एजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

11. आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित एक प्रमाण पत्र जिसमे यह घोषणा किया जाना चाहिए कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में निहित विषयवस्तु एक समान है। साथ ही उसे यह भी शपथ लेना चाहिए कि आवेदक किसी भी असंगति अथवा पारावहन में हुए नुकसान के लिए स्वयं ज़िम्मेवार होगा।

12. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।

13. यह विभाग संबन्धित प्रैस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।

14. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग

वयस्क व्यक्ति के नाम में परिवर्तन के लिए नमूना/निर्धारित प्रपत्र
सभी रिक्त स्थान सादे कागज पर दो प्रतियों में विधिवत टाइप होने चाहिए (दो प्रतियाँ)

सं. विज्ञापन/IV/

मैं अब तक ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.................. के नाम से जाना जाता/जानी जाती हूँ। मैं ....(विभाग का नाम) में.....................................पद पर कार्यरत हूँ । मैं .... (घर का पता) पर रहता/रहती हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है और इसके बाद मैं .... से जाना जाऊँगा/जानी जाऊँगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(अपना पूर्व/पुराना नाम टाइप करें)
आवेदक का हस्ताक्षर (मौजूदा पुराना नाम)

साक्षी संख्या:- 1

हस्ताक्षर ....
नाम...पता...
....
.
मोबाइल...

साक्षी संख्या:- 2

हस्ताक्षर ....
नाम...पता...
....
....
मोबाइल...

- बिना किसी गवाह के विवरण के विधिवत रूप से टाइप या कम्प्यूटरीकृत प्रिंट (2 प्रतियां) और 1 सीडी एमएस वर्ड में जमा किया जाना चाहिए ।
- उन क्षेत्रों को छोड़ दें जो लागू नहीं होता।

<u>नमूना प्रति</u>

मैं अब तक **<u>आयुष</u>** पुत्र श्री **<u>सुनील भटनागर</u>** के रूप में जाना जाता था, मैं **<u>एचसीएल कंपनी, सेक्टर - 60, नोएडा</u>** में **<u>वरिष्ठ अभियंता</u>** के रूप में कार्यरत हूँ , मैं **<u>17, अशोक वाटिका, लाजपत नगर, दिल्ली</u>** में रहता हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है और उसके बाद मैं **<u>आयुष भटनागर</u>** के रूप में जाना जाऊंगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(अपना पूर्व/पुराना नाम टाइप करें)
आवेदक का हस्ताक्षर (मौजूदा पुराना नाम)

<u>साक्षी संख्या:- 1</u>

हस्ताक्षर ....
नाम.**अशोक शर्मा** पता.. 171, सैक्टर- 14, सोनीपत, हरयाणा,

मोबाइल:- 7777777771

<u>साक्षी संख्या:- 2</u>

हस्ताक्षर ....
नाम.**राजेश शर्मा** पता.. 171, सैक्टर- 14, सोनीपत, हरयाणा,

मोबाइल:- 8888888881

(i) नमूना प्रति हस्तलिखित नहीं होना चाहिए।

(ii) पुराना नाम टाइप करें और केवल पुराने नाम से ही हस्ताक्षर करें

(iii) नया नाम केवल एक ही होना चाहिए।

(iv) नए नाम में पिता या पति आदि का नाम नहीं होना चाहिए। केवल अपना पूरा नया नाम होना चाहिए।

(v) उपरोक्त प्रारूप में उम्र का उल्लेख न करें।

सी. डी. में निहित तथ्य

निम्नलिखित तथ्य को पुराने नाम के साथ एमएस वर्ड में टाइप किया जाना चाहिए तथा इसे केवल कॉम्पैक्ट डिस्क- सीडी में डाला जाना चाहिए।

मैं अब तक ....पुत्र/पुत्री/पत्नी .... के नाम से जाना जाता/जानी जाती हूँ। मैं ....(विभाग का नाम) में.....................................पद पर कार्यरत हूँ । मैं .... (घर का पता) पर रहता/रहती हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है और इसके बाद मैं .... से जाना जाऊँगा/जानी जाऊँगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

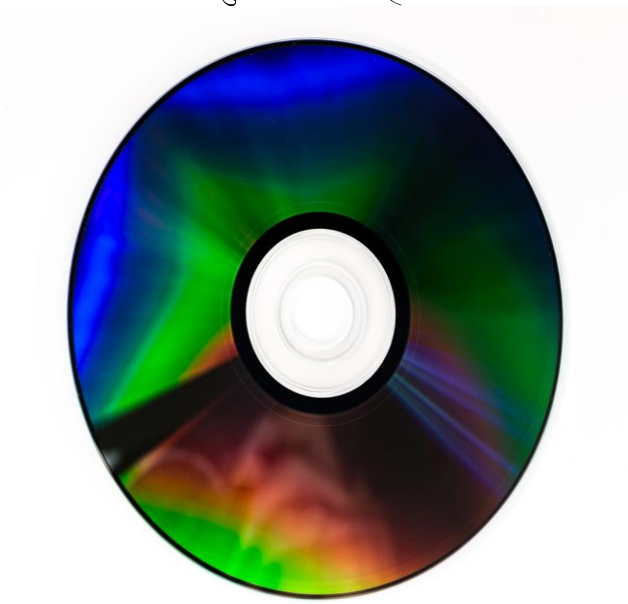

पुराना नाम (हस्ताक्षर के बदले में)

सीडी में निम्नलिखित बिन्दु शामिल नहीं होना चाहिए।

- **i)** **स्कैन किया गया मामला नहीं होना चाहिए (जैसे पीडीएफ़, जेपीइजी, जेपीजी इत्यादि (केवल दस्तावेज़/एम. एस. वर्ड प्रारूप में होनी चाहिए ।**
- **ii)** **हस्ताक्षर रहित**
- **iii)** **साक्षी/गवाह का विवरण नहीं होना चाहिए ।**
- **iv)** **कोई आवेदन,फोटोग्राफ्स, शपथ पत्र, आई डी. विवरण इत्यादि नहीं होनी चाहिए ।**